

# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

₹ 10

TEN  
RUPEES

Rs.10



NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

08AD 994224

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

(प्ररूप 26

(नियम 4क देखिये)

कानपुर खण्ड शिक्षक-निर्वाचन क्षेत्र से  
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम) उत्तर प्रदेश (राज्य का नाम)  
के लिये निर्वाचन के लिये रटर्निंग आफिसर के समक्ष  
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र



भाग-अ

मैं, श्रीकान्त द्विवेदी पुत्र स्व० गंगा नारायण आयु 65 वर्ष 5 माह 07 दिन जो 3 ए/31 ए आजाद  
नगर, कानपुर नगर का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा  
करता हूँ कि शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ:-

1. मैं एक अभ्यर्थी हूँ जिसे निर्दल (राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया  
है/निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ।  
(जो लागू न हो उसे काट दें)
2. मेरा नाम विधान सभा कल्याणपुर कानपुर उत्तर प्रदेश (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का  
नाम), मे क्व सं० 750 पर, भाग सं० 205 में प्रविष्ट है।
3. मेरा मो० नं० 9336112230 संपर्क दूरभाष संख्यायें हैं और .....X.....ई-मेल पता  
(यदि कोई हो) है।



क्रम सं.	नाम	पी ए एन	वह द्वितीय वर्ष जिसके आय-कर विवरणी मे (स्थायी खाता लिय अंतिम आय-कर दर्शाई गई कुल आय संख्या) विवरणी फाइल की गई है (रूपये में)
1.	स्वयं श्रीकान्त द्विवेदी-	ABSPD2837	आय- 4,41,160 / -रु0 अंतिम
2.	पति/पत्नी-	श्रीमती शीलप्रभा -	- - -
3.	आश्रित-1		
4.	आश्रित-2		
5.	आश्रित- 3		

(5) में ऐसी किसी लम्बित मामले मे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जिसमे सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विचरित किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा

(1) मेरे विरुद्ध ऐसे लंबित मामले जिसमे न्यायालय ने दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये आरोप विचरित किये है, निम्नलिखित है-

(क)	संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण विवरण के साथ मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्यायें	X
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये आरोपित किया गया है।	X
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	X

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

(घ)	न्यायालय जिसने आरोप विचरित किए है	X
(ङ)	तारीख जिस पर आरोप विचरित किए गए	X



(च)	क्या सभी या किसी कार्यवाही पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है।	X
-----	---	---

(ii.) निम्नलिखित मामले मेरे विरुद्ध लम्बित है, जिसमे न्यायालय मे संज्ञान लिया है, इन ऊपर मद (त) मे लिखित मामलों के अलावाट:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख :	X
(ख)	मामलों का ब्यौरा जिनमे न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, अधिनियमों की धाराओं और अपराधों का विवरण जिनमे संज्ञान लिया गया	X
(ग)	उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई अपील, पुनरीक्षण के लिये आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हैं) के ब्यौरे	X

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 08 की उपधारा (1) या उपधारा (2) मे निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न किसी अपराध (अपराधों) के लिये सिद्धदोष नही ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट नही किया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप मे सिद्धदोष ठहराया गया या दंडादिष्ट किसी गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों मे, मुझे न्यायालय द्वारा सिद्धदोष और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(क)	संबंधित मामलों के अधिनियम (अधिनियमों), धारा (धाराओं) का ब्यौरा और अपराधों का वग्रन जिनके लिये सिद्धदोष किया गया	X
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला सं. और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	X
(ग)	अधिरोपित दंड	X
(घ)	क्या सिद्धदोष आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/हैं। यदि हां, तो अपील का ब्यौरा और उसकी वर्तमान प्रायस्थिति	X





(7) यह कि मैं अपनी पत्नी/पति और आश्रितों की आस्तियों (स्थायी और स्थायी आदि) का ब्यौरा यहां नीचे देता हूं :

क. जंगम सम्पत्तियों का ब्यौरा :

टिप्पणी 1: . संयुक्त नाम आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना है।

टिप्पणी 2: . निपेक्ष/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, निक्षेप की तारीख, स्कीम बैंक/संस्थान और शाखा के नाम सहित ब्यौरा दिया जाना है।

टिप्पणी 3: . वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की बावत स्टॉक एक्सचेंज में और असूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र/डिबेंचर का मूल्य।

टिप्पणी 4: . आश्रित का वही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 के स्पष्टीकरण (V) में उसका है।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

क्रम	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
सं०						
i	हाथ में रोकड़	5000/-	500/-			
ii	बैंक खातों में निक्षेप ब्यौरे (एफडीआर, अवधि निक्षेप और बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार के निपेक्ष), वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों में निक्षेप और ऐसे प्रत्येक निक्षेप की रकम					
iii	बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों और कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य विनिधान के ब्यौरे और रकम					



iv	एनएसएस, डाकीय बचत, बीमा पालिसियों, मे विनिधान के ब्यौरे और डाक विभाग व बीमा कम्पनी के किसी वित्तीय लिखत मे विनिधान और रकम					
v	या फर्म, कंपनी, न्यास आदि किसी व्यक्ति अस्तित्व को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियां और रकम					
vi	मोटर यान/वायुयान/नाव/जहाज (निर्माण, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का ब्यौरा खरीद के वर्ष और रकम)	कार नं० यू0पी0 78 ई0एफ0 7272 कीमत लगभग 9,00,000 /- खरीद वर्ष सन् 2016				
vii	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान चीजें (भार और मूल्य के ब्यौरे)	एक रिंग सोने की करीब 08 ग्राम कीमत लगभग 22,000 /-रु०	एक रिंग सोने की करीब 5 ग्राम कीमत लगभग 14,000 /-रु०	एक चैन सोने की करीब 10 ग्राम कीमत लगभग 28,000 /-रु०		
viii	कोई अन्य आस्तियां जैसे दावे का मूल्य/ब्याज					
ix	सकल कुल मूल्य					



*(Signature)*

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1: . संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदिशत किया जाना करे।

टिप्पण 2: . इस रूपविधान मे प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का अलग से उल्लेख होना चाहिये।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
1	कृषि भूमि का/के स्थान, सर्वेक्षण संख्यांक क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	खतौनी कमांक संख्या 43030600310 स्थित ग्राम बहसुइया परगना तिर्वा, जिला कन्नौज पैतृक 09 बीघा क्य की गयी 5 बीघा कुल 14 बीघा कीमत करीब 20,00,000 / -रु०				
	क्या विरासती सम्पत्ति है (हां या नहीं)	उपरोक्त खेती				
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्य की तारीख	29/07/1992				
	क्य के समय भूमि की लागत (क्य					







	की दशा में)					
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	उपरोक्त				
ii	गैर कृषि भूमि : स्थान सर्वेक्षण संख्यांक	आवासीय मकान 3 ए/31 ए आजाद नगर, कानपुर नगर क्षेत्र 205 वर्गगज का 1/2 भाग भवन				
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	कुल 1845 वर्गफीट में 1/2 भाग				
	क्या विरासती सम्पत्ति है। (हां या नहीं)	नहीं				
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में कय की तारीख	22/04/2003				
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	9,00,000/-रु0 का 1/2				
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	नहीं				

श/सु

	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	35,00,000 / -रु०				
iii	वाणिज्यक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) स्थान -सर्वेक्षण संख्यांक	नही				
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	X				
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	X				
	क्या विरासती सम्पत्ति है, (हां या नहीं)	X				
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	X				
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	X				
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	X				
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	X				

2/2/2018



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

iv	आवासिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित -स्थान -सर्वेक्षण संख्यांक	3 ए/31 ए आजाद नगर, कानपुर नगर।					
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	1845 वर्गफीट का 1/2 भाग					
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	900 वर्गफीट					
	क्या विरासती सम्पत्ति है (हां या नहीं)	नहीं					
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख						
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)						
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान						
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य						
iv	अन्य (जैसे सम्पत्ति में हित)	X					
iv	ऊपर (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य						



8. मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों के ब्यौरे नीचे देता हूँ-

(टिप्पण : कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक संस्था, अस्तित्व या व्यष्टि के नाम और रकम के अलग अलग ब्यौरे दे)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित नं-1	आश्रित नं-2	आश्रित नं.- 3
i	एस0बी0बी0जे0 शाखा कौशलपुरी कानपुर नगर से होम लोन खाता संख्या 51056547471 कुल- 5,00,000 /- वर्तमान में शेष अदायगी 2,12,852 /-रु0					
	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा आर्य नगर, कानपुर नगर खाता सं0 3956253307 कार लोन रूपये 6,00,000 /- वर्तमान में बकाया शेष 5,69,038 /-रु0					
	अन्य कोई दायित्व- नहीं					
	दायित्वों का कुल योग-7,81,890 /-रु0					
ii	सरकार के देय, सरकारी वास-सुविधा से सम्बन्धित विभाग को देय	X				
	जल प्रदाय से सम्बन्धित विभाग को देय	X				
	टेलीफोन/मोबाइलों की पूर्ति से सम्बन्धित विभाग को देय	X				
	सरकारी परिवहन से सम्बन्धित विभाग को देय	X				

Shan



	(वायुयानों व हेलीकॉप्टरों सहित)				
	आय कर देय	X			
	सम्पत्ति कर देय	X			
	सेवा कर देय	X			
	नगर पालिका सम्पत्ति कर देय	X			
	विक्री कर देय	X			
	कोई अन्य देय	X			
iii	सरकारी सभी देयों का कुल योग	X			
iv	क्या कोई अन्य दायित्व विवाद ग्रस्त है यदि है तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी का उल्लेख करे जिसके समक्ष लम्बित है	X			

9. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) - स्वयं सेवा निवृत्त शिक्षक

(ख) - पति / पत्नी - गृहणी

10. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे

(प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठयक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय शिक्षा / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे, विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय का नाम दे, और व वर्ष का ब्यौरा दे जिसमे पाठयक्रम पूरा किया गया था)

### भाग ख

(11) भाग (क) के (1) से (10) में दिये गये ब्यौरे का सार :

1	अभ्यर्थी का पूरा नाम-	श्रीकान्त द्विवेदी
2	डाक का पूरा पता	3 ए/31 ए आजाद नगर, कानपुर नगर



3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	संख्या 211 विधान सभा कल्यानपुर कानपुर नगर उत्तर प्रदेश
4	राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है	
5	सनिर्दलीय	
	I लम्बित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय द्वारा दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिये आरोप विचरित किये गये हैं	X
	(ii) लम्बित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय/न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, (ऊपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	X
6	उन मामलों की संख्या जिनमें दोष सिद्ध और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनिष्ठ किया गया है इलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय	X



अनुप



निर्वाचनों का संचालन निगम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

7.		का स्थायी खाता संख्या (पीएफएन)	वर्ष जिसमें अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	दर्शाई गई कुल आय		
	(क) अभ्यर्थी श्री का. न. बाजपै	48 SP-D 2837				
	(ख) मति या पत्नी शक्ति पति					
	(ग) आश्रित	X				
8.	आश्रितों और दायित्वों के रूपों में बाँटे					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित 1	आश्रित 2	आश्रित 3
अ.	जगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	9,22,000	42,000	X	X	X
आ	स्वायत्त आस्ति					
I	स्वयं स्वयं संपत्ति की क्रय कीमत	5,64,000	X	X	X	X
II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति के विकास/निर्माण की लागत (यदि लागू हों)	X	X	X	X	X
III	(क) स्वयं आस्तियों (कुल मूल्य) (ख) विरामती आस्तियों (कुल मूल्य), की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	43 लाख 18 लाख 41 लाख				
9.	दायित्व					
(i)	सरकार के देय (कुल)	X				
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	6 लाख 11 हजार 100				
10.	दायित्व जो विवादग्रस्त हैं					
(i)	सरकार के देय (कुल)	X				
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	X				
उच्चतम शैक्षिक अर्हता : एम. ए. श्री. एस. का. न. विश्वविद्यालय का 195-111 (प्रमाणपत्र/दिल्ली/हिंदी पाठ्यक्रम के पूरे काम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के बाँरे दे, विद्यालय/नवाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष कब खोला है जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)						



सत्यापन  
निर्वाचन आयोग के सदस्यों ने यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु पर सर्वत्र ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि :-  
(क) पूर्वोक्त भाग अ की मद 5 और मद 6 और भाग आ में उल्लिखित से भिन्न किसी मामले में मैं दोषसिद्ध नहीं हुआ हूँ या कोई मामला मेरे विरुद्ध लंबित नहीं है।  
(ख) पूर्वोक्त भाग अ की मद 7 और मद 8 तथा भाग आ के मद 8, मद 9 और मद 10 में उल्लिखित से भिन्न मेरी, मेरे पति/मेरी पत्नी या मेरे आश्रितों की कोई भी अरित या दायित्व नहीं है।

11292 स्थान पर आज तारीख 11/01/17 को सत्यापित किया गया।

Identified  
Vishnu Narain Bajpai

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

- टिप्पण 1. शपथपत्र, नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन सायं तीन बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।  
टिप्पण 2. शपथपत्र में, शपथ आयुक्त के समक्ष या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।  
टिप्पण 3. सभी स्तंभ भरें जाने चाहिए और कोई स्तंभ खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी स्तंभ में कोई त्रुटि है तो, यथास्थिति, या तो "सूझ नहीं" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।  
टिप्पण 4. शपथपत्र या तो लिखित होना चाहिए या सुपाठ्य और स्पष्टतः लिखित होना चाहिए।

Pankaj Anand  
Notary Public  
(Government of India)  
11/01/17